>

Title: Need to include Rajasthani language in Eighth Schedule to the Constitution.

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु कई दशकों से मांग की जा रही है एवं राजस्थान पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वैसे तो राजस्थान में कई भाषाएं बोली जाती हैं जैसे ब्रजभाषा, मालवी, धुंधारी, मेवाड़ी, हदोती, वागड़ी, एवं शेखावती इत्यादि परंतु राजस्थानी भाषा को लोग अधिक संख्या में प्रयोग करते हैं। राजस्थान सरकार ने कई साल पूर्व राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा भी की है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक साहित्यों की रचना हुई है और आम कार्यक्रमों एवं सामाजिक समारोहों में राजस्थानी भाषा को महत्व दिया जाता है। इस संबंध में भारतीय की स्थानीय भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु मानदंडों का पता लगाने हेतु श्री सीताकांत मोहपात्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन 2003 में हुआ और इस कमेटी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी। परंतु तब से अब तक इस पर राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु कोई विचार नहीं हो पाया है। खेद की बात है कि इस रिपोर्ट पर विचार कर कोई निर्णय लेने हेतु कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की है जिससे भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के कार्य में कई संशय एवं आशंका पैदा हो गई है।

अतः अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा को जल्द जनहित में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जिससे राजस्थान को राजस्थानी भाषा पर गर्व अनुभव हो सके।